



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48693

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3272 वर्ष 2026

अरुण कुमार एवं 3 अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता	: मिथिलेश कुमार तिवारी
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार तिवारी तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. याचीगण का कथन है कि याची संख्या 1 को दिनांक 30.07.2003 को स्टोर कीपर के पद पर नियुक्त किया गया तथा तत्पश्चात उसे दिनांक 20.09.2016 को वरिष्ठ स्टोर कीपर के पद पर पदोन्नत किया गया और उसने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण किया है। इसी प्रकार, याची संख्या 2 को दिनांक 29.08.2003 को स्टोर कीपर के पद पर नियुक्त किया गया तथा दिनांक 20.09.2016 को वरिष्ठ स्टोर कीपर के पद पर पदोन्नत किया गया तथा उसने भी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण किया है। याची संख्या 3 को प्रारंभ में दिनांक 02.11.2007 को स्टोर कीपर के पद पर नियुक्त किया गया तथा दिनांक 01.11.2017 को वरिष्ठ स्टोर कीपर के पद पर पदोन्नत किया गया तथा उसने भी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण किया है। याची संख्या 4 को दिनांक 21.01.2009 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया तथा उसने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण किया है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचीगण की प्रार्थना प्रत्यर्थीगण को उनके दावे पर विचार करने हेतु निर्देशित किए जाने की है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचीगण को केवल पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का अधिकार प्राप्त है, तथापि यह पात्रता, उपयुक्तता तथा प्रासंगिक नियमों के अनुपालन के अधीन है। अतः उन्होंने निवेदन किया कि याचीगण के दावे का परीक्षण प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी संख्या 2, अभियंता-इन-चीफ (सिविल), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
5. उक्त प्रस्तुतीकरण पर याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की तथा सहमति प्रदान की।
6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कथनों एवं उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित की जाती है कि याचीगण, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति सहित एक समग्र अभ्यावेदन प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 विधि के अनुसार याचीगण के दावे का निस्तारण आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर करेंगे। यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 की यह अभिमति हो कि प्रकरण का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है, तो अभिलेख संबंधित प्राधिकारी को प्रेषित किए जाएंगे।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण प्रत्यर्थीगण से कोई प्रत्युत्तर आमंत्रित किए बिना किया गया है, अतः इस आदेश को प्रकरण के गुण-दोष पर न्यायालय द्वारा विचार किए जाने के रूप में नहीं माना जाएगा।
8. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

दिनांक : 10 मार्च, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।